न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-163 RAAJodhpur2021-53RTA223 Bhanwari devi ors Vs Chensingh etc

01. भॅवरीदेवी पत्नी रणछोड़सिंह
02. भंवर सिंह पुत्र रणछोड़सिंह
03. नरपतसिंह पुत्र रणछोड़सिंह
04. भूरसिंह पुत्र रणछोड़सिंह
05. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्रणछोड़सिंह
06. अर्जुनसिंह पुत्र रणछोड़सिंह
07. खमा देवी पुत्री रणछोड़सिंह
08. पप्पु देवी पुत्री रणछोड़सिंह
09. दरिया देवी पुत्री रणछोड़सिंह
10. जसराज सिंह पुत्र मगसिंह

सभी जातियान् मगसिंह सभी जाति राजपुरोहित, निवासीगण- बावड़ी कला तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. चैन सिंह पुत्र डुंगरसिंह
2. नखत देवी पुत्री डुंगरसिंह
3. किशन सिंह पुत्र डुंगरसिंह
4. वीरों पत्नी डुंगरसिंह

सभी जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- बावड़ी कला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 40/2019 चैनसिंह व अन्य बनाम भॅवरीदेवी इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4

10.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 10 नवंबर 2023

सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 40/2019 अनवान चैनसिंह व अन्य बनाम भँवरी देवी इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 अप्रैल 2021 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 6 रकबा 114 बीघा 17 बिस्वा ग्राम बावड़ी कल्लां तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना व कोई कानूनी प्रावधान की पालना किये बिना एकतरफा प्राथमिक डिक्री पारित की है। इस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त योग्य है। वाद में बिना साक्ष्य के ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो वाद साक्ष्य के अभाव में ही अपास्त किये जाने योग्य

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व ही विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार फलोदी से तलब कर लिया जो विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना पारित किया गया आदेश है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत न तो वाद पत्र में अपीलांट का जवाब दावा लिया गया, न ही तनकीयात कायम की गई, न ही साक्ष्य ली गई, न ही अपीलांटगण की बहस सुनी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मार्च 2021 अपास्त किये जावे

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये जाने के बाद उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक पत्रावली विचारण न्यायालय में प्रतिवादी के जवाब में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना तथा प्रकरण में साक्ष्य-सबूत लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 40/2019 अनवान चैनसिंह व अन्य बनाम भँवरी देवी इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे। साथ ही अपीलांट्स को हिदायत है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष अविलंब अपना जवाब पेश करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08 दिसंबर 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर